संख्या:2765/15-12-92-32(21)/92

प्रेषक,

रमा शंकर शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक, उ0प्र0,
शिक्षा (माध्यमिक) अनुभाग,
इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग-12

लखनऊ, दिनांक: 25 फरवरी, 1993.

विषय:- वर्ष 1992-93 में स्थानीय/निजी समुदाय द्वारा भूमि/भवन उपलब्ध कराने पर असेवित क्षेत्रों/विकास खण्डों में राजकीय कन्या हाईस्कूलों की स्थापना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय संलग्न सूची "क" में उल्लिखित स्थानों पर एक-एक राजकीय कन्या हाईस्कूल (कक्षा-9-10) साहित्यिक एवं वैज्ञानिक विषय वर्गों में उनके सम्मुख अंकित नाम से खोले जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय तालिका "ख" में प्रदर्शित विभिन्न श्रेणी के कुल 88 अस्थायी पदों को उन पर नियुक्ति के दिनांक से 28 फरवरी, 1993 तक की अवधि के लिये, यदि ये पद इससे पूर्व ही बिना सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, सृजित करने तथा उसी तालिका में उल्लिखित अनावर्तक व्यय हेतु रुपये 1,60,000/= (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र) की स्वीकृति भी सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- ये पद अपने-अपने संवर्गों में अस्थायी वृद्धि माने जायेंगे। इन पदों को न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार ही भरने की कार्यवाही की जाय।

4- उल्लिखित पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को मँहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार देय होंगे।

5- नवस्थापित राजकीय कन्या हाईस्कूलों की प्रधानाध्यापिकायें अपने-अपने विद्यालय एवं प्रतिष्ठान के आहरण एवं वितरण अधिकारी भी रहेंगी।

6- उक्त प्रस्तर-1, 2 में स्वीकृत मदों/पदों पर होने वाले व्यय का विकलन वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-72 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-02-माध्यमिक शिक्षा-109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-15-स्थानीय/निजी समुदाय द्वारा भूमि तथा भवन उपलब्ध कराए जाने पर असेवित क्षेत्रों/विकासखण्डों में राजकीय कन्या हाईस्कूलों की स्थापना-20-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र" में होगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-11/561/दस-93, दिनांक 24 फरवरी, 1993 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(रमा शंकर शर्मा)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 2765(1)/15-12-92-32(2)/92-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0प्र0, शिविर कार्यालय, लखनऊ।
(3) सम्बन्धित कोषाधिकारी।
(4) वित्त (ई-11) अनुभाग।
(5) नियोजन अनुभाग-4
(6) शिक्षा अनुभाग-3
(7) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (तीन प्रतियों में)
(8) सम्बन्धित जिलाधिकारी।

आज्ञा से,

(रमा शंकर शर्मा)
संयुक्त सचिव।

शुक्ला/=